न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन भूअभिलेख अधिकारी श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :260 / 2025(जी.सी.एम.एस. 2025 /)

वादी	बनाम	प्रतिवादी
1. मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील व जिला श्रीगंगानगर।		1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार श्रीकरणपुर

तारीख रजू:– 29.07.2025

उपस्थित: 1.श्री इन्द्राज सेजू अधिवक्ता वादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट,

—निर्णय— **दिनांक : 19.08.2025**

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 के मुरब्बा नम्बर 27 की कुल 2.023 हैक्टेयर भूमि मे से वादी के नाम 674/2023 हिस्सा भूमि दर्ज है। उक्त खाता में वादी का नाम क्रम संख्या 4 पर नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरंक्षक माता संतोष रानी अंकित है। उक्त भूमि वादी को जरिए उपहार अपने दादा से प्राप्त शुदा है। उपहार के समय वादी नाबालिग था उक्त उपहार जरिए प्राकृतिक सरंक्षक माता का नाम संतोष रानी पत्नी मदनलाल के नाम से निष्पादित करवाया था। वर्तमान में वादी बालिग हो चुका है तथा 21 वर्ष आयु पूर्ण कर चुका है। वादी के नाम के आगे नाबालिग अंकित होने के कारण वादी को काफी असुविधा कारित होती है तथा अन्य विभिन्न समस्याओं से झूजना पडता है। इस कारण वादी मुताबिक दस्तावेजो के आधार पर नाम संशोधित करवाने हेतु घोषणात्मक अनुतोष का वाद पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर रहा है। यही वाद कारण है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति नायक दर्ज किए जाने के आदेश दिए जावे।
2. वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीकरणपुर के पंत्राक 2281 दिनांक 03.09.2025 से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी 674/2023 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आधार कार्ड, अंकतालिका में वादी की जन्मतिथि 05.10.2004 है। जिसके आधार पर खातेदार की आयु लगभग 21 वर्ष हो चुकी है। उक्त खातेदार को राजस्व रिकॉर्ड में बालिग किया जाना उचित है।
3. बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादी, शपथ पत्र, रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर का अध्ययन किया। वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 की प्रति, आधार कार्ड की छायाप्रति, कक्षा 10 वीं की अंकतालिका छायाप्रति के अवलोकन से स्पष्ट है, कि वादी के द्वारा राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार

सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति नायक दर्ज करवाने बाबत निवेदन किया गया है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तोवजात के अनुसार वादी की आयु लगभग 21 वर्ष पूर्ण हो चुकी है। तहसीलदार श्रीकरणपुर की रिपोर्ट मुताबिक राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी 674/2023 हिस्सा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। आधार कार्ड, अंकतालिका में वादी की जन्मतिथि 05.10.2004 है। जिसके आधार पर खातेदार की आयु लगभग 21 वर्ष हो चुकी है। उक्त खातेदार को राजस्व रिकॉर्ड में बालिग किया जाना उचित है। अतः वाद पत्र वादी रिपोर्ट तहसीलदार श्रीकरणपुर, वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात, शपथ पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते है।

–:आदेश:–

4. अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136– भू–राजस्व अधिनियम–1956 भली–भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि. क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से क्रम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

(श्योराम (आरएएस))
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

निर्णय आज दिनांक 18.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्योराम (आरएएस))
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्री करणपुर (श्रीगंगानगर)

सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर (श्रीगंगानगर)

अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}
(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर
ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

मनीष कुमार बनाम राजस्थान सरकार
धारा अन्तर्गत 88 आरटीए, 136 एलआरएक्ट
मुकदमा नम्बर **260/2025**
निर्णय दिनांक :- 18.09.2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी **वादी अधिवक्ता श्री इन्द्राज सेजू उपस्थित होने पर** आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, 136- भू-राजस्व अधिनियम-1956 भली-भांति साबित होने से स्वीकार किया जाकर राजस्व ग्राम 31 एफ, पटवार हल्का अरायण, भू.अ.नि.क्षेत्र अरायण, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबंदी सम्वत 2076 ता 2079 के खाता संख्या 60/60 में क्रम संख्या 4 पर अंकित नाबालिग मनीष कुमार पुत्र मदनलाल सरक्षक माता संतोष रानी के स्थान पर मनीष कुमार पुत्र मदनलाल जाति नायक निवासी 13 जी छोटी तहसील श्रीगंगानगर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते है। उक्त खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तुर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे।

आज दिनांक 18.09.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

मुद्दई	रुपया	पैसा	मुदायली	रुपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अर्जी	00	00
स्टाम्प ड्यूटी	00	00	मेहनताना वकील पर	00	00
योग	**04**	**00**	**योग**	**00**	**00**

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर

क्रमांकः रीडर/2025/709
दिनांकः 18.09.2025

प्रतिलिपिः तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर, पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
श्रीकरणपुर, जिला श्रीगंगानगर